

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 89

दिनांक 24/01/25

**प्रार्थनी:-**

1.मांगीदेवी पत्नि टीकमाराम  
जाति जाट, निवासी मते का तला  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1.दुर्गाराम पुत्र जेरामाराम, जाति जाट 2.रूपसिंह पुत्र  
रहमतसिंह, जाति राजपूत 3.लाखाराम पुत्र नगाराम  
4.सोमाराम 5.फताराम पि.पारूराम 6.काबूल पुत्र हरजीराम  
7.लक्ष्मणराम 8.खेताराम पि. जिलालराम जाति भील, निवासी  
प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर), तहसील चौहटन 9.गुलामखां पुत्र  
मामद अली 10.हलाखां पुत्र हासमखां 11.हाजीखां पुत्र  
हनीफखां, जातियान मुसलमान, निवासी हासम की ढाणी  
(मते का तला) 12.हबीबलाखां पुत्र सालेखां के का.मु. :-  
12/1. सलामत पत्नि हबीबलाखां, जाति मुसलमान, निवासी  
मा.इब्राहीम की ढाणी (मते का तला), तहसील चौहटन  
13.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 115/2023

दिनांक : 22/01/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 614/412, 616/412 रकबा क्रमशः 04.9048, 00.0324 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे ।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 24/01/25

क्रमांक/भू.अ./2025/ 90 to 93

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनी मांगीदेवी
3. विप्रार्थीगण दुर्गाराम बगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन